न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस नं. 2025/237)

प्रकरण संख्याः—141/2025
तारीख दायरः—10/12/2025
निर्णय दिनांकः—06/01/2026

उनवान

1. मनोहर लाल पिता हरकचन्द जाति महाजन निवासी ताल तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द ।

प्रार्थी।

बनाम

1. तहसीलदार(भूमिदारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये प्रतिनिधि राजस्थान सरकार।

अप्रार्थी।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 147 आराजी संख्या 298 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म गै0मु0रास्ता 0.0300 बीड। 0.1400 कुल किता 05 कुल रकबा 1.3800 हैक्टेयर भूमि स्थित है में खसरा संख्या 298 रकबा 0.1700 गै0मु0रास्ता 0.300, बीड—1 0.1400 उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की होकर प्रार्थी इस पर कब्जे काश्त होकर इसका उपयोग—उपभोग कर रहा है। प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थीगण संख्या की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बोते समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 भूमि धारी होने से जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि मानी जाती है तथा ऐसी भूमि पर निजी खातेदार के पक्ष में सीमांकन/पत्थरगडी किया जाना विधिसम्मत नहीं है। **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(43) में अभिधारी को परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा में एक सह अभिधारी (सहखातेदार) भी अभिधारी के रूप में अभिव्यक्त है।** अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

—:आदेशः—

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 147

उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

आराजी संख्या 298 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजी के उस भाग का ही सीमांकन/पत्थरगढ़ी कराई जाए, जो राजस्व अभिलेखों में खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है। उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला—राजसमन्द (राज.)

6/11/26

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)